उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 27-6-1986 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1986 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री खान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री माता प्रसाद		सदस्य
3- श्री राम पाल सिंह		सदस्य
4- श्री आनन्द प्रकाश मिश्र		सदस्य
5- श्री चन्द्र शेखर गुप्ता	उप सचिव, आवास विभाग (सचिव आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
6- श्री आर0के0 श्रीवास्तव	उप सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री एन0एम0 चौधरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8- श्री एस0पी0 आर्य	आवास आयुक्त	सदस्य
9- श्री धीरेन्द्र दत्त बहुगुणा	अपर आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 4-4-86 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/(1)/86	परिषद की दिनांक 4-4-86 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 4-4-86 की अनुपालन आख्या।	तृतीय/(2)/86	परिषद द्वारा दिनांक 4-4-86 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गई तथा आख्या का परिषद ने निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया:- दिनांक 29-1-86 को हुई बैठक में मद सं0-39 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सीपारेक्स लि0 पूना भ्रमण करने हेतु कार्यक्रम जुलाई के अन्तिम सप्ताह/ अगस्त के प्रथम सप्ताह में निर्धारित किया जाय और इसकी पूर्व सूचना महाराष्ट्र आवास एवं विका[स] परिषद तथा सीपोरेक्स लि0 को दे दी जाय
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	तृतीय/(3)/86	दिनांक 26-6-86 को हुई अनुश्रवण समिति की बैठक का कार्यवृत्त परिषद के समक्ष प्रस्[तुत] किया गया और परिषद ने अनुमोदनोपरान्त यह निदेश दिए कि कार्यवृत्त में अंकित निर्ण[यों] का अनुपालन किया जाय।
4-	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 देहरादून का परित्याग करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(4)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 देहरादून का परित्याग करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूमि अर्जन की योजनाओं की विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अर्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड जिसमें तकनीकी मानदण्ड भी शामिल है के अन्तर्गत गहन परीक्षण कर लिया जाना चाहिये ताकि विज्ञप्ति होने के बाद तकनीकी आधार पर

1	2	3	4
			योजनाओं का परित्याग न करना पड़े।
5-	पौड़ी श्रीनगर मार्ग योजना सं0-1 पौड़ी गढ़वाल के परित्याग के सम्बन्ध में।	तृतीय/(5)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पौड़ी श्रीनगर मार्ग योजना सं0-1 पौड़ी गढ़वाल का प्रस्ताव में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परित्याग कर दिया जाय।
6-	नुमाइश योजना हरदोई में द्वितीय हडको परियोजना के अन्तर्गत उ0आ0व0 के 11 भवनों के निर्माण हेतु निर्गत की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(6)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
7-	हडको वित्त पोषित प्रथम कम्पोजिट प्रोजेक्ट अयोध्या रोड, फैजाबाद (स्कीम नं0-4427)	तृतीय/(7)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	गाजियाबाद हापुड़ मार्ग एवं डासना दिल्ली बाईपास के मध्य योजना सं0-1 गाजियाबाद की शेष 10 एकड़ भूमि को भी परित्याग करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(8)/86	परिषद द्वारा गाजियाबाद-हापुड़ मार्ग एवं डासना मार्ग दिल्ली बाईपास के मध्य योजना सं0-1 गाजियाबाद की शेष 100 एकड़ भूमि के परित्याग करने के लिये सहमति व्यक्त की गयी। यदि उक्त योजना में समाविष्ट समस्त भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है तो प्राधिकरण समस्त भूमि के देय प्रतिकर की पूरी धनराशि को परिषद को अर्जन के पूर्व उपलब्ध करायेगा। साथ ही प्राधिकरण को इस भूमि को अर्जन से सम्बन्धित सभी दायित्वों तथा सभी देयों को परिषद को भुगतान करने के दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। बाद में पर हुए व्यय तथा अन्य व्यय भी प्राधिकरण को ही वहन करना होगा। ऐसे औपचारिक समझौते के बाद परिषद भूमि प्राधिकरण को अधिग्रहित कर सकेगी
9-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों (तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 (तथा संशोधित-जून-1984 तक) के विनियम-28 के नियम (3) में संशोधित का प्रस्ताव।	तृतीय/(9)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	श्री राम किशन मिशन सेवाश्रम, लखनऊ को प्रदिष्ट भवनों को उनके कर्मचारियों को हस्तान्तरण की सुविधा पांच प्रतिशत परिवर्तन शुल्क के अधीन देने पर परिषद के विचारार्थ टिप्पणी।	तृतीय/(10)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया तथा यह लिया कि सेवाश्रम को प्रदिष्ट भवन के कर्मचारियों को हस्तान्तरण की सुविधा के सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाय।
11-	हडको वित्त पोषित आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(11)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
12-	नेहरूग्राम योजना में छूटे तीन स्थानों पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, देहरादून को परित्याग करने के संबंध में।	तृतीय/(12)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नेहरूग्राम में छूटे हुये 3 स्थानों पर भूमि विकास गृहस्थान योजना, देहरादून की भूमि का परित्याग इस शर्त के साथ किया जाये कि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा परिषद को विकास शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

1	2	3	4
13-	रामघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, अलीगढ़ (क्षेत्रफल 155.33 एकड़ तथा अनुमानित व्यय रु० 479.45 लाख)	तृतीय/(13)/86	परिषद ने "रामघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, अलीगढ़" के भूमि अर्जन के सम्बन्ध में नियोजन समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति को विचारोपरान्त स्वीकृत किया तथा यह निर्णय लिया कि नियोजन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार इस भूमि का अर्जन कर लिया जाय।
14-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के नियम-15 (ब) में संशोधन।	तृतीय/(14)/86	परिषद ने "उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियमावली, 1980 के नियम 5 (ब) के संशोधन स्वीकृति प्रदान की।
15-	नियुक्ति प्राधिकारी, आवास आयुक्त द्वारा दण्डारोपण प्रकरण पर पारित आदेश सं०-943/प्रशा०-एक-473 दिनांक 21-6-8 के विरूद्ध श्री उत्तम चन्द बंसल, सहायक अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	तृतीय/(15)/86	समिति के प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री यू०सी०बंसल, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकृत कर दिया जाय।
16-	परिषद की बरेली पीलीभीत रोड योजना सं०-3 बरेली में श्री दिलदार हुसैन अन्सारी, सदस्य विधान परिषद को आवंटित भूखण्ड सं०-297 की दर संशोधित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(6)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि भूखण्ड सं०-297 की स्थिति तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये श्री डी०एच०अन्सारी, सदस्य विधान परिषद से 300 वर्ग मीटर का 31.03.86 के आवासीय विकसित भूमि दर ब्याज सहित तथा इससे अधिक की भूमि का 375 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मूल्य ले लिया जाय। विकल्प श्री अन्सारी से बरेली में भूखण्डों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य तथा ब्याज लिया जा सकता है। भुगतान किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेने हेतु परिषद द्वारा आवास आयुक्त को इस शर्त के साथ अधिकृत किया गया कि यह किश्तें न्यूनतम होंगी और यह 4 वर्ष के अंदर ही देय होंगी।
17-	परिषद की इन्दिरानगर योजना में आवंटित दु०आ०व० भवन सं०-सी०-2129/4 का०श्री सुन्दर सिंह बोरा के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(17)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इन्दिरानगर योजना में आवंटित दु०आ०व० सं०-2129/4 जिसका आवंटन स्व० श्री हरी सिंह बोरा को हुआ था का विशेष परिस्थितियों में किसी आपत्ति के न होने पर उनके भाई श्री सुंदर सिंह बोरा के पक्ष में अपवाद स्वरूप बिना पूर्व दृष्टान्त मानते हुये अंतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।
18-	आवास परिषद की झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 इलाहाबाद के सम्बन्ध में।	तृतीय/(18)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
19-	दस नगर सुधार मण्डलों के परिषद में संविलियन (मर्जर) के फलस्वरूप प्राप्त अधिक संपत्ति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(19)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री जी श्री राम प्रकाश को इन्दिरा नगर लखनऊ में आवासीय भूखण्ड प्रदिष्ट किये जाने के संदर्भ में।	तृतीय/(20)/86	श्री राम प्रकाश भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री, उ०प्र० को इन्दिरानगर लखनऊ में आवासीय भूखण्ड प्रदिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन्हें विधायकों की श्रेणी में शामिल करते हुये प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड आवंटित करने पर विचार किया जाय।

1	2	3	4
21-	हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 ऋषिकेश (क्षेत्रफल 20 एकड़ अनुमानित लागत रु0 38.443 लाख) को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(21)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 ऋषिकेश का परित्याग करने का निर्णय लिया।
22-	कोटद्वार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 कोटद्वार (क्षेत्रफल 16.78 एकड़ तथा अनुमानित व्यय रु0 102.983 लाख)	तृतीय/(22)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त कोटद्वार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 कोटद्वार को परित्याग करने का निर्णय लिया।
23-	सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में सेवा विनियमावली।	तृतीय/(23)/86	सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त परिषद ने यह निर्णय लिया कि सहायक लेखाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक अथवा अन्य समकक्ष वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी अवसर प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या प्राप्त की जाये और तदोपरान्त परीक्षण कर परिषद के समक्ष पुनः सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
24- ✓	परिषद योजनाओं में स्वीकृति हेतु मानचित्र तैयार करने हेतु लाइसेन्स के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(24)/86	परिषद योजनाओं में स्वीकृति हेतु मानचित्र तैयार करने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाय और उनके आवश्यक तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाय। नगर नियोजन विभाग के प्रतिनिधि को भी चुनाव की इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय।
25-	परिषद योजनाओं में भवन/ भूखण्ड पर आवंटी द्वारा प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति के समय लिये जाने वाले निर्माण सामग्री संचय शुल्क तथा जल व्यय शुल्क के सम्बन्ध में।	तृतीय/(25)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:- 1- शासन द्वारा अनुमोदित मलवा, संचय शुल्क एवं जल व्यय शुल्क की दरें दिनांक 27-6-86 से लागू कर दी जाये। 2- उपरोक्त दोनों शुल्क मानचित्र स्वीकृति से पूर्व ही परिषद खाते में जमा कराये जाय। 3- साइट एण्ड सर्विसेज/द0आ0व0 भवनों/भूखण्डों से कोई मलवा एवं निर्माण काल शुल्क न लिया जाय। अल्प आय वर्ग के भवनों/ भूखण्डों के लिये शुल्कों की दरें सामान्य दरों के 50 प्रतिशत के बराबर रखी जाय। यह दरें दिनांक 27-6-86 से लागू मानी जाय। 4- सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक संस्थाओं से सामान्य दरों पर ही यह शुल्क प्राप्त किया जायेगा। 5- मानचित्र स्वीकृति से पूर्व भूखण्डों/ भवनों में वाटर मीटर लगाए जाने अथवा उसके लिये निर्धारित शुल्क परिषद खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
26-	वित्तीय वर्ष-1979-80 के वार्षिक चिट्ठे पर जाँच आख्या एवं उस पर अनुपालन कार्यवाही।	तृतीय/(26)/86	वित्तीय वर्ष-1979-80 के वार्षिक चिट्ठे पर दी गयी आख्या पर की गई अनुपालन की कार्यवाही का परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
27-	परिषद योजनाओं में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन।	तृतीय/(27)/86	परिषद योजनाओं में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि के आवंटन में श्री मीर मुनव्वर अली के स्थान पर श्री आनन्द प्रकाश मिश्र को समिति का सदस्य नामित करने का निर्णय लिया गया।

1	2	3	4
37-	श्री प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता परिकल्पना खण्ड-11 गाजियाबाद को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(37)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
38-	हस्तान्तरण विलेख परिवर्तन शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में।	तृतीय/(38)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
39-	मुख्य वास्तुविद् नियोजक के पद का उच्चीकरण।	तृतीय/(39)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।
40-	अनुशासनिक प्राधिकारी के द्वारा पारित की आदेशों के विरुद्ध श्री एस०पी०सराफ, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	तृतीय/(40)/86	विचार विमर्श के उपरान्त श्री एस०पी०सराफ, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में उप समिति की आख्या स्वीकृत हुई और निम्नवत निर्णीत हुआ कि वर्ष 1983 में तत्कालीन आवास आयुक्त द्वारा दी गयी भर्त्सनात्मक प्रविष्टि विलुप्त कर दी जाय।
41-	आवास आयुक्त के आदेश सं0-5854/प्रशा0-एक दिनांक 19-1-85 दिनांक 19-1-85 के विरुद्ध श्री राजदेव प्रसाद तत्कालीन स्टोर तथा स्टेशनरी इन्चार्ज के द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 9-7-85 तथा दिनांक 5-8-85 की सुनवायी के प्रसंग में।	तृतीय/(41)/86	श्री राजदेव प्रसाद, तत्कालीन स्टोर तथा स्टेशनरी इन्चार्ज के सम्बन्ध में प्रस्तुत उप समिति की आख्या विचारोपरान्त श्री राजदेव प्रसाद की अपील परिषद द्वारा अस्वीकृत की गयी।
42-	आवास आयुक्त के आदेश सं0-703/सतर्कता 9/83(474) दि0 2-5-85 तथा 70 सतर्कता 9/83(474)दिनांक 2-5-85 के विरुद्ध श्री एस0के0सोनी, अवर अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 22-7-85 की सुनवाई के प्रसंग में।	तृतीय/(42)/86	श्री एस0के0सोनी, अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई के प्रसंग में उप समिति की आख्या विचारोपरान्त स्वीकृत की गयी तदनुसार अवर अभियन्ता द्वारा की गयी अपील अस्वीकृत की गयी।
43-	आवास आयुक्त के आदेश सं0-55/सतर्कता दिनांक 21-5-85 एवं आदेश सं0-546 सतर्कता-78/(428) दि016-4-85 के विरुद्ध श्री टी0एन0मिश्र, सहायक लेखाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15-7-85 की सुनवाई के प्रसंग में।	तृतीय/(43)/86	श्री टी0एन0मिश्र, सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवायी के प्रसंग में उप समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा श्री मिश्रा द्वारा की गयी अपील को अस्वीकृत किया गया।
44-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद फ्लैटों तथा भवनों पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 के प्रस्तर-32 (1) प्रदेशन हेतु आरक्षण के संशोधन।	तृतीय/44)/86	परिषद ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान विनियम 32(1) के था प्रस्तावित विनियम को इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया जाता है कि इस प्रकार ऐसे विधायक जो विधायक आवास समिति में पंजीकृत हैं उन्हें विधायकों के आरक्षण में प्राथमिकता है उन्हें विधायकों के आरक्षण में प्राथमिकता दी जाय के स्थान पर यह वाक्य इस प्रकार परिषद अथवा विधायक आवास समिति में पंजीकृत विधायकों को भी आरक्षण में प्राथमिकता दी जाये।
45-	बरेली योजना सं0-4 में कामर्शियल काम्पलेक्स/कार्यालय के निर्माण हेतु पुन: कार्यालय ज्ञाप सं0-3059/ए0-5/21 दि015-9-85 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(45)/86	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में प्रदान की गयी। यह निर्णय लिया गया कि विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व का धारण किया जाय और वांछित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

1	2	3	4
46-	योजना सं0-3 गाजियाबाद मेरठ योजना सं0-7, सेक्टर-2 मेरठ तथा बुलन्दशहर योजना सं0-2 बुलन्दशहर में वाह्य विद्युतीकरण के कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(46)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
47-	योजना सं0-3 गाजियाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन म0आ0व0-एम0-30 प्रकार के 426 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(47)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
48-	परिषद योजनाओं की नामांकन समिति द्वारा निर्धारित नये नाम।	तृतीय/(48)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।
49-	परिषद की सम्पत्तियों हेतु पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम में संशोधन।	तृतीय/(49)/86	विचार विमर्श के उपरान्त परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 के सम्बन्ध में विनियमावली को अद्यतन बनाने तथा सम्पत्तियों की विक्रय शीलता को बढ़ाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विनियमावली में संशोधन करने हेतु आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष को अधिकृत किया जाय।

पुष्टि की जाये

[signature]

अध्यक्ष

पैन्सलीन-2-9-86